रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 1984/ज्येष्ठ 8, 1906
No. 182] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 1984/JYAISTHA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1984

सा०का०नि० 413 (अ) :—केन्द्रीय सरकार चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में,—

(1) नियम 21 के उपनियम (3) में,—

(क) खण्ड (ख) के द्वितीय परन्तुक के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ख) खण्ड (ग) में "दूसरी प्रति दी जाएगी" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"और"

(ग) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) यदि आवेदन फिल्म के निर्माता या प्रतिलिप्यधिकार धारक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो समुचित मूल्य के स्टाम्पित कागज पर फिल्म के निर्माता या प्रतिलिप्यधिकार धारक के लिखित प्राधिकरण को अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।"

पाद टिप्पण : भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा० का० नि० 381-अ तारीख 9-5-83 के रूप में प्रकाशित।

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड-3 उपखण्ड (i) में सा०का०नि० 83-अ तारीख 28-2-84 द्वारा संशोधित।

(2) नियम 30 के उपनियम (1) के परन्तुक में "प्रमाणपत्र" शब्दों के पश्चात् "के भाग-2" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(3) नियम 38 के अन्त में निम्नलिखित वाक्यांश रखा जाएगा; अर्थात् :—

"ऐसे विज्ञापन केवल फ़िल्म के प्रमाणित नाम को उपदर्शित करेंगे।"

[फाइल संख्या 805/2/83-एफ(सी)]

विजेन्द्र सिंह जाफ़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 1984

G.S.R. 413(E):—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) (Second Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cinematograph (Certification) Rules, 1983,—(1) in sub-rule (3) of rule 21,—

(a) the word "and" appearing at the end of the second proviso to clause (b) shall be omitted ;

(b) in clause (c) after the words "duplicate certificate", the following shall be inserted, namely :—

"and"

(c) after clause (c) the following clause shall be inserted, namely :—

"(d) if the application is made by a person other than the producer or copyright holder of the film, an authorisation in writing on a stamped paper of appropriate value to be notified by the Chairman from the producer or copyright holder of the film."

Foot note : published as GSR 381-E dated 9-5-83 in the Extraordinary Gazette of India Part II section 3 sub-section (i)

Amended by GSR 83-E dated 28-2-84 in the Extraordinary Gazette of India Part II section 3 sub-section (i).

(2) in the proviso to sub-rule (1) of rule 30, after the words "a copy of" the words "Part II of" shall be inserted.

(3) at the end of rule 38 the following sentence shall be added, namely: —

"Such advertisements shall indicate only the certified title of a film".

[File No.805|2|83-F(C)]

V. S. JAFA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984